



HAMIRPUR POLICE



थाना सुमेरपुर

दिनांक 17.06.2022

फर्जी SDM बनकर एक बोलेरो गाड़ी में अवैध तरीके से सरकारी नीली बत्ती व 30प्र0 सरकार एवं एसडीएम के स्टीकर का प्रयोग कर वसूली करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया

अवगत कराना है कि दिनांक 16-17.06.2022 की रात्रि भ्रमण/गस्त के दौरान थाना सुमेरपुर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि गल्ला मंडी कस्बा सुमेरपुर के पास एक सफेद रंग की बोलेरो जिस पर एसडीएम, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, गाड़ी के पास खड़ा व्यक्ति टॉर्च लगाकर खनिज बालू से भरे ट्रकों को रोक कर उनसे वसूली कर रहा है। उपरोक्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम गल्ला मंडी के पास पहुंची तो बोलेरो नंबर (यूपी-78 GJ-1320) के पास खड़ा टॉर्च दिखाने वाला व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। बोलेरो में बैठे व्यक्ति से जानकारी की गई तो उसने अपना नाम अंकित सिंह पुत्र रामगोपाल सिंह निवासी मंगला विहार थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर बताया। बोलेरो को चेक किया गया तो बोलेरो पर उत्तर प्रदेश सरकार हिंदी में, अंग्रेजी में एसडीएम लिखा हुआ था, आगे नीली बत्ती व हूटर लगा हुआ था। तलाशी के दौरान बोलेरो चालक अनिल की जेब से 5400/- बरामद हुए। **उक्त बोलेरो में नीली बत्ती, उत्तर प्रदेश सरकार व एसडीएम लिखा स्टीकर लगाकर लगातार दुरुपयोग किया जा रहा था। आरोपी द्वारा फर्जी एसडीएम बनकर मौरम के ट्रकों से अवैध वसूली की जा रही थी।** उक्त प्रकरण के संबंध में थाना सुमेरपुर में धारा-171/384/484/419/420/467/468/411 आईपीसी में 02 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, साथ ही उपरोक्त बोलेरो के कोई कागजात ना दिखाने के कारण 207 एमवी एक्ट में सीज की कार्यवाही की गई। **गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट एवं संपत्ति कुर्की की कार्यवाही की जाएगी।** गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। साथ ही घटना में फरार एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दबिश दी रही है।

➤ गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

-अंकित सिंह पुत्र रामगोपाल सिंह निवासी मंगला विहार थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर

➤ फरार अभियुक्त का नाम पता-

-हिमांशु गुप्ता पुत्र बलराम गुप्ता निवासी मंगला विहार थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर

➤ गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार
2. उपनिरीक्षक राम बाबू यादव
3. कांस्टेबल नवीन यादव
4. कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार

